न्यायालय अंचल अधिकारी, मुरहू

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या 01/2017-18

आदेश की क्रमांक संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित तारीख
1	2	3
17.2.17	आवेदक लखीचरण महतो पिता स्व० पुरी महतो बगै० मौजा कुजला थाना मुरहू जिला खूंटी के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है, पंजी II में धरिया महतो पिता मंगरा तेली का नाम गलत ढंग से दर्ज किया गया है वंशावली के आधार पर पंजी II सुधारने का अनुरोध किया है। आवेदन पत्र संबंधित राजस्व कर्मचारी को जांच हेतु दें। जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग करें विपक्षी को नोटिस करें, अभिलेख दिनांक 25.02.2017 को रखें। अंचल अधिकारी, मुरहू	
25.2.17	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। विपक्षी उपस्थित उनके द्वारा उपस्थित आवेदन के साथ वंशावली जो स्थानीय जन प्रतिनिधि (मुखिया द्वारा हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत किया है। विपक्षी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु 1 माह का समयावधि मांग किया है, किन्तु 15 दिनों का समय दिया जाता है। अभिलेख दिनांक 13.03.2017 को रखें। अंचल अधिकारी, मुरहू 25/2/17	
13-3-17	अभिलेख उपस्थापित। होली के अवसर पर बंद रहने के कारण अगली तिथि दिनांक 27.03.2017 को रखें। अंचल अधिकारी, मुरहू 13/3/17	
27.3.17	अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित अभिलेख में संलग्न सभी राजस्व कागजात का अवलोकन किया गया। संबंधित राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा कुजला थाना संख्या 249 के खाता सं० 51,52,53,54 सर्वेखतियान में मोहना तेली वल्द अन्दु तेली के नाम से दर्ज है। पंजी II में खाता सं० 51,52,53,54, एवं 55 कुल रकबा 17.08 एकड़ भूमि शिवदयाल महतो वो नारायण महतो, मोहरा महतो, वो धरिया महतो, पिता मंगरा महतो के नाम से जमाबंदी कायम है। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत कागजात के आधार पर यथा खतियान में धरिया महतो पिता मंगरा महतो का नाम उल्लेख नहीं है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। दोनों पक्षों की उपस्थिति में ग्राम सभा एवं दोनों पक्षों का हस्ताक्षर युक्त ग्राम सभा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उल्लेखित है कि पंजी II में धरिया महतो पिता मंगरा महतो (तेली) का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं है एवं उनका नाम विलोपित करने से उनको कोई आपत्ति नहीं है। अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता खूंटी को भेजें। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी, मुरहू 27/3/17 27/3/17 अंचल अधिकारी, मुरहू	

अभिलेख उपस्थापित1 उप–समाहर्त्ता भूमि सुधार खूँटी के पत्रांक 49 / न्या० दिनांक 3.05.2017 द्वारा अभिलेख स्पष्ट अनुशांसा के लिए वापस किया गया।

प्रथम पक्ष के आवेदन पत्र के आधार पर मौजा कुंजला के खाता नं० 51,52,53,54 एवं 55 रकबा 17.08 ए0 भूमि पंजी II में शिवदयाल महतो वो नारायण महतो, पिता मोहना महतो, वो घसिया महतो, पिता मंगरा महतो के नाम से दर्ज है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन तथा खतियान, राजस्व, कागजातों के अवलोकन पश्चात् खतियान एवं वंशावली के आधार पर शिवदयाल महतो वो नारायण महतो, पिता मोहना महतो, ग्राम– कुंजला के नाम से पंजी II सुधार करने हेतु अनुसंशा की जाती है।

अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता खूँटी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
मुरहू

अंचल अधिकारी,
मुरहू